राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2529/2024

सन्तोष भगसरा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, नीयर डीर पार्क, युधिष्ठिर मार्ग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप–2), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, बीकानेर, संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, चूरू।
5. डॉ, हर्षित राव, पी.एम.ओ., एस.डी.एच, राजगढ़, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.07.2024 को उप जिला चिकित्सालय राजगढ़, चूरू का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अर्न्तगत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई थी। उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 का स्थानान्तरण उप जिला अस्पताल, सादुलशहर, राजगढ़, जिला चूरू से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अस्पताल, सादुलशहर, राजगढ़ जिला चूरू किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश

दिनांक 22.02.2024 को वापस ले लिया गया, जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या को उप जिला अस्पताल, सादुलशहर, राजगढ़, जिला चूरू से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अस्पताल, सादुलशहर, राजगढ़ जिला चूरू में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 को आदेश दिनांक 01.01.2024 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन) उप जिला चिकित्सालय, राजगढ़, चूरू को उप जिला चिकित्सालय, राजगढ़, चूरू के कार्यालय की सामान्य वित्तीय एवं लेख नियम 3क में प्रदान की गई आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित की गई। जिसके विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4340/2024 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा विवादित आदेश दिनांक 04.03.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था, पर रोक लगा दी तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2024 की अनुपालना में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अस्पताल, सादुलशहर, राजगढ़, चूरू में निरन्तर कार्य करने के आदेश दिये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को उप जिला चिकित्सालय, राजगढ़, चूरू का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण की शक्तियों प्रदान की गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 09.07.2024 के विरूद्ध एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12450/2024 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 की रिट याचिका निरर्थक होने के कारण खारिज कर दी गई (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.12.2020 (अनुलग्नक–8) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 नियुक्ति राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधिकारीओं की भर्ती परीक्षा 2020 आयोजित की गई। जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 को दो वर्ष की परीवीक्षा काल में जिसमें एक वर्ष की इन्टरशिप अवधि शामिल करते हुए नियुक्ति सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़, चूरू में नियुक्ति दी गई। जहां पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 ने दिनांक 25.12.2020 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था (अनुलग्नक–9)। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय उप जिला चिकित्सालय, राजगढ़, चूरू द्वारा इस संस्थान पर पदस्थापित चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची

(अनुलग्नक–10) जो कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर को प्रेषित की गई, के अनुसार अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 01 पर अंकित है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 का नाम क्रम संख्या 09 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी वरिष्ठ होते हुए भी कनिष्ठ अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई है, जो विधि–विरूद्ध है। वित्त विभाग के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 3 (ए)(1)(2) एवं (बी) (अनुलग्नक–11) के द्वारा राज्य सरकार द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी की नियुक्ति की शक्तियां प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र दिनांक 15.03.2022 (अनुलग्नक–12) के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद क्रमशः संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर के पद स्वीकृत है। अतः उक्त पदों पर पदस्थापन हेतु योग्य अधिकारियों का पूल बनाने हेतु निम्नानुसार कार्यानुभव निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी को 13 वर्ष का अनुभव है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 को मात्र 03 वर्ष का ही अनुभव हैं। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 बीसीएमएचओ की शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2024 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को पुनः उप जिला चिकित्सालय, राजगढ़ में कार्यभार ग्रहण करवाये।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई, को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रत्याहरित किया गया। वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के नियम 3 (a)(1) में प्रावधान हैः–

3: [(a)] (1) Heads of Departments shall have powers to declare any Gazetted officer subordinate to him as the Head of an office for the purpose of these and other financial rules of Government.

Provided that not more than one Gazetted officer shall be declared as Head of Office in respect of the same office or establishment, unless such office or establishment is distinctly separate from one another.

5. उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां नियमानुसार प्रत्याहरित की गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार आदेश जारी किये गये है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य